राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

परिवर्तित बजट 2024–25

10 जुलाई, 2024

परिवर्तित बजट वर्ष 2024–25 के प्रमुख बिन्दु

राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों में 2 लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां
- वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों में 2 लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपये का राजस्व व्यय
- वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपये
- वर्ष 2024–25 का राजकोषीय घाटा 70 हजार 9 करोड़ 47 लाख जो GSDP का 3.93 प्रतिशत है।

- अमृत कालखण्ड–'विकसित राजस्थान @ 2047' के अन्तर्गत 5 वर्षों की कार्ययोजना
- 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य,

पेयजल :

- जल जीवन मिशन'–इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य
- जल जीवन मिशन–लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपये की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य
- अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत–
  - 183 शहरों/कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5 हजार 180 करोड़ रुपये के कार्य 2 वर्षों में
  - 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के कार्य 127 करोड़ रुपये की लागत से
  - अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए Service Reservoir निर्माण, नसीराबाद से नौसरघाटी/कोटड़ा क्षेत्र तक Pipeline का कार्य
  - टोडारायसिंह–केकड़ी, देवली, मालपुरा व अलीगढ़–टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उच्च जलाशय, पाइप लाइन आदि के कार्य
- विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व पाइप लाइन सम्बन्धी कार्य
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 2 वर्षों में 20–20 Handpumps व 10–10 Tubewells
- नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में CETPs एवं STPs का निर्माण एवं संचालन

ऊर्जा :

- आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना
- वर्ष 2031–32 तक परम्परागत स्रोतों से 20 हजार 500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33 हजार 600 मेगावाट क्षमता का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य
- वर्ष 2031–32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य
- पूगल, छतरगढ़–बीकानेर एवं बोडाना–जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किये जाने का कार्य
- हर घर–हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने का संकल्प
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 'आदर्श सौर ग्राम',
- सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ना
- 2 लाख 8 हजार से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में domestic connections

- विभिन्न क्षमता के जीएसएस की स्थापना–400 केवी का एक, 220 केवी के तेरह, 132 केवी के छत्तीस तथा 33/11 केवी के सत्ताइस
- Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के अंतर्गत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से smart meters, इस वर्ष 25 लाख से अधिक smart meters

सड़क :

- 5 वर्षों में 53 हजार किलोमीटर लम्बाई का सड़क नेटवर्क, लगभग 60 हजार करोड़ रुपये व्यय
- State Highways, सड़कों के साथ बाईपास सड़कों, Flyovers, Elevated Roads, ROBs व RUBs, High Level Bridges के निर्माण तथा repair व उन्नयन के कार्य, लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की लागत
- 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई के 9 Green Field Expressways
- क्षतिग्रस्त एक हजार 343 सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य, 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपये व्यय

क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधायें :

- 'Rajasthan Regional and Urban Planning Bill-2024'–शहरों के साथ ही Peri-Urban क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना–500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- चयनित शहरी निकायों में Wi-Fi enabled Library and Co-working Stations, लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत
- बिजली की लाइनों को underground करने के लिए 150 करोड़ रुपये का व्यय
- ठोस कचरे के प्रबन्धन (Solid Waste Management) हेतु 71 नगरीय निकायों में Processing Plants;
- 86 नगरीय निकायों में Material Recovery Facility केन्द्रों का निर्माण
- 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण (Legacy Waste Remediation) की समुचित व्यवस्था,
- विभिन्न शहरों में drainage, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण, लगभग एक हजार 300 करोड़ रुपये की लागत
- महिलाओं के लिए Bio/Pink Toilet Complex
- 2 वर्षों में 500 बसें क्रय, 800 बसें Service Model, 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल
- लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ
- 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त Bus Ports/Stands
- राजस्थान रोडवेज में एक हजार 650 कार्मिकों की भर्ती
- City transport के लिए GCC model आधारित 300 electric buses, Modern Shelter cum Charging Stations
- बृज क्षेत्रीय विकास योजना
- डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50–50 करोड़ रुपये

औद्योगिक विकास :

- Ease of Doing Business (EoDB) एवं Sustainability आधारित Industrial Policy-2024

- प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए Export Promotion Policy
- Garment and Apparel Policy
- Rajasthan Warehousing and Logistics Policy
- Investor Summit के साथ ही Non-Resident Rajasthani Conclave का आयोजन, Rajasthan Foundation के नये Chapters
- बालोतरा में Rajasthan Petro Zone (RPZ)
- Defence Manufacturing Hub
- जयपुर में 'अमृत Global Technology and Application Centre', 200 करोड़ रुपये की लागत,
- Data Centre Policy
- भीलवाड़ा में Textile Park; बीकानेर में Ceramic Park; बांदीकुई–दौसा के पास Industrial and Logistical Hub; कांकाणी/रोहट–पाली में Solar Panel Manufacturing Park; बांसवाड़ा में Biomass Pellet एवं Chemical Manufacturing Park; किशनगढ़–अजमेर में Tiles Manufacturing Park तथा जोधपुर में Handicraft Park, 2 और Waste Recycling Parks
- ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकन्दरा–दौसा में Stone मंडियों की स्थापना, वर्तमान Stone Clusters का भी उन्नयन, 125 करोड़ रुपये का प्रावधान
- Rajasthan-One District, One Product Policy 2024, प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय
- जयपुर में PM-Unity Mall, लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत
- MSME Policy-2024
- माटी कला Centre of Excellence

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

- नवीन पर्यटन नीति
- राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन
- Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF) , 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य
- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य
- Rajasthan Heritage Conservation and Development Authority
- Jaipur Walled City Heritage Development Plan, 100 करोड़ रुपये के कार्य
- जैसलमेर में Fossil Park एवं Open Rocks Museum
- MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) Tourism हेतु जयपुर में राजस्थान मण्डपम्
- सांभर झील, खींचन Conservation Reserve, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता Conservation Reserve एवं बस्सी अभयारण्य को Eco-Tourism Sites
- सरिस्का और रणथम्भौर में EV based Transport System
- खाटूश्यामजी के लिए 100 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान

- 600 मंदिरों में त्योहारों पर विशेष साज–सज्जा व आरती के कार्यक्रम
- प्रमुख मंदिरों व धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार व विकास कार्य
- डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारक, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय
- डूंगरपुर में शिल्पग्राम
- राज्य अभिलेखागार–बीकानेर के लगभग 40 करोड़ Historical Scripts का digitization
- जयपुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की terminal capacity 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष
- जयपुर में नये State Terminal का निर्माण
- किशनगढ़–अजमेर तथा हमीरगढ़– भीलवाड़ा में flying training शुरू

वन एवं पर्यावरण :

- आगामी वर्ष से राज्य का 'Green Budget'
- वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य
- Mission 'हरियाळो–राजस्थान', 5 वर्षों में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न कार्य
- प्रत्येक जिले में 'मातृ वन'
- One District-One Species कार्यक्रम
- 2 हजार 'वन मित्र'
- महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, चरागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य एक हजार 650 करोड़ रुपये की राशि से
- Block स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए Marketing Hubs, 25 करोड़ रुपये
- झालाना–जयपुर में Forest and Wildlife Training cum Management Institute, 40 करोड़ रुपये लागत
- Forest Carbon Credits Certification Mechanism स्थापित
- 5 बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये की राशि से Tiger Habitat सुधार के कार्य,
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)–भरतपुर के निकट Zoological Park (Zoo) एवं Aquarium
- नाहरगढ़ जैविक उद्यान–जयपुर में Walk in Aviary, 20 करोड़ रुपये की लागत
- गोडावण संरक्षण हेतु नए enclosures के साथ ही Predator Proof Fencing
- अलवर में Biological Park, 25 करोड़ रुपये का व्यय
- 50 Plastic Bottle Flaking/Reserve Vending Machines की स्थापना
- Clean cooking को प्रोत्साहन, 10 हजार solar/electric cooking systems का वितरण
- अलवर एवं भिवाड़ी में Early Warning Systems

युवा विकास एवं कल्याण :

- 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियाँ, इस वर्ष एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती
- 'युवा नीति–2024'
  सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में skill upgradation के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर
- Apprenticeship/ internship programmes–Artificial Intelligence आधारित counselling

- State Skill Policy–2 वर्षों में एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को training
- 'Atal Entrepreneurship Programme'
- चयनित startups को 'Atal Entrepreneurship Programme' में i-Start Fund के तहत 10 करोड़ रुपये तक की funding सुविधा
- Fund of Funds–Startups को equity funding के द्वारा financial support, 100 करोड़ रुपये
- Agriculture Accelerator Mission
- AVGC-XR Policy (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics-Extended Reality Policy), 5 वर्षों में 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर
- Learn, Earn And Progress (LEAP) Programme-Startup founders व युवाओं की upskilling,
- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'Business Innovation Programme', एक लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित, 20 करोड़ रुपये व्यय
- 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
- भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में Rajasthan Institute of Technology (RIT), लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत
- विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'कुलगुरू' की पदवी
- 12 नये महाविद्यालय, 8 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय एवं 10 महाविद्यालयों का UG से PG में क्रमोन्नयन
- 150 ITIs का आधुनिकीकरण, 965 करोड़ रुपये
- ITIs में नवीन आधुनिक Trades
- पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन Branches/ सीट क्षमता वृद्धि
- 50 नये प्राथमिक विद्यालय, 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय, 138 भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण
- Class-rooms, labs, Libraries एवं toilets के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान, 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपये व्यय
- विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों की repair व आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़ रुपये
- 15 छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपये का व्यय
- 17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का 77 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन एवं रखरखाव
- Migratory पशुपालकों हेतु पिण्डवाड़ा–सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण
- सुमेरपुर–पाली में घुमन्तू जातियों के लिए आवासीय विद्यालय
- 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को Tablets with 3 years internet connectivity निःशुल्क
- 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण, 50 करोड़ रुपये व्यय
- वास्तु एवं ज्योतिष का जयपुर में Centre of Excellence
- संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय,

- Sports–Infrastructure, Science, Analysis, Counselling व Nutrition का समावेश करते हुए 'खेल नीति–2024'
- राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन
- Maharana Pratap Sports University, 250 करोड़ रुपये,
- संभागीय स्तर पर Sports Colleges, प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये
- 'One District-One Sport' Scheme–प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी
- Sports Life Insurance Scheme अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज
- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में State of the Art Ultra Fitness Centre
- 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर open gyms व खेल मैदान
- 'खेलो राजस्थान Youth Games', ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन
- Youth Day (12 जनवरी) के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव
- Rajasthan Youth Icon Award

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

- MAA Yojana में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नये Paediatric Packages
- निजी चिकित्सा संस्थानों के Empanelment Norms में शिथिलन (relaxation)
- सम्पूर्ण प्रदेश में 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) Voucher योजना' लागू
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक–एक 'आयुष्मान मॉडल सीएचसी', 125 करोड़ रुपये व्यय
- 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) Health Infrastructure Mission, आगामी 3 वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये के कार्य
- सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के आयुष्मान टावर हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय
- Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) में Super-Speciality सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय
- मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में Spinal Injury Centres
- जे के लोन अस्पताल–जयपुर में Centre of Excellence for Medical Genetics, 22 करोड़ रुपये का व्यय
- 29 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों/जिला अस्पतालों में Lactation Management Units
- अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय,
- महवा–दौसा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय
- Rajasthan Digital Health Mission,
- PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर e-Health Record
- एक हजार 500 चिकित्सकों तथा 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के नये पद

सड़क सुरक्षा :

- RUHS–जयपुर, कोलाना (बांदीकुई)–दौसा, साण्डेराव, देसूरी–पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नये Trauma Centres, 25 अतिरिक्त Advanced Life Support Ambulances

- प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर Road Safety Task Force
- Good Samaritans को देय प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये

सामाजिक सुरक्षा :

- SCSP एवं TSP Funds की राशि बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये
- बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना –10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
- गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना–अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के जनजाति के परिवारों का समग्र विकास, 75 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना–शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में Street Vendors के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को, 25 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान
- स्थायी आश्रय और आवास से वंचित denotified tribes के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना EWS वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान
- अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम निगम आदि को 100 करोड़ रुपये की सहायता
- EWS हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण, 25 करोड़ रुपये का प्रावधान
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख (छत्तीस लाख) बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध, 200 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5–5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र
- इस वर्ष 2 हजार केन्द्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन, लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय
- जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ–बाड़ी केन्द्रों
- 'लखपति दीदी योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कर 15 लाख
- 40 हजार नवीन SHGs गठित, लगभग 300 करोड़ रुपये का व्यय
- Self Help Groups (SHGs) की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर–2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर
- जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए Hostel एवं Paying Guest सुविधा, 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान
- संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल
- दिव्यांगजन को 20 हजार रुपये तक के Artificial Limbs / Equipment उपलब्ध, लगभग 50 हजार दिव्यांगजन लाभान्वित
- 2 हजार दिव्यांगजन को Scooty
- Rare Disease से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अन्तर्गत–
  प्रदेश में 50 करोड़ रुपये की राशि से Rare Disease Fund

Muscular Dystrophy से ग्रसित रोगी के साथ Attendant (सहयोगी) को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा

- जामडोली–जयपुर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते 'स्वयंसिद्धा Centre of Excellence', चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपये का व्यय,
- संभाग स्तर पर 'स्वयंसिद्धा आश्रम'
- स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपये को बढ़ाकर अब मैं, 60 हजार रुपये प्रतिमाह
- द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह

सुशासन :

- प्रशासन की mobility बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों में इस वित्तीय वर्ष में 250 वाहन
- भरतपुर में Integrated Office Complex cum Service Centre के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण
- समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, Emergency Response एवं पर्यटन की दृष्टि से Air Travel को सुगम करने के लिए Helipads
- ऊर्जा विभाग–13 नये विद्युत कार्यालय, 6 नये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय, खान विभाग के 3 नवीन कार्यालय
- राहूवास (लालसोट)–दौसा एवं विवेक विहार–जोधपुर में उपखण्ड कार्यालय
- 7 नवीन तहसील कार्यालय,
- 20 नवीन नगर पालिकायें,
- पुष्कर–अजमेर, लालसोट–दौसा व शाहपुरा–जयपुर में नगर परिषद्
- पाली व भीलवाड़ा में नगर निगम
- Single Window–Same Day Service Delivery, विभिन्न विभागों की 25 सेवायें 24 घंटों में
- Data Profiles को secured व consent based mechanism से Multi Stake Holder Environment में share करने के लिए देश का प्रथम Data Exchange–Raj D.Ex. (राजडैक्स)
- Disaster Recovery Data Centre–जोधपुर का उन्नयन
- पुलिस में 5 हजार 500 नये पदों के सृजन, जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से Security Police Force
- पद्मिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना
- 500 कालिका Patrolling Units
- पुलिस Mobility हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन
- कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खण्ड भी स्थापित
- विभिन्न नये न्यायालयों की स्थापना, प्रत्येक जिले में एक महिला थाना, 10 नये पुलिस थाने

कार्मिक कल्याण :

- Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष दो तिथियाँ–01 जुलाई एवं 01 जनवरी

- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के अन्तर्गत, राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को एक हजार 200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता
- पेंशनर्स को देय Out Door चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, लगभग 120 करोड़ रुपये का वित्तीय भार
- स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण (accreditation) की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 (पैंतालीस) वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष,
- उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशनसिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारम्भ
- अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना–RJHS (Rajasthan Journalist Health Scheme)

सिंचाईः

- Rajasthan Irrigation Water Grid Mission, 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य
- ERCP–5 महत्वपूर्ण लिंक व चम्बल बेसिन के कार्य चरणबद्ध रूप से
- बारां जिले में चम्बल बेसिन कार्य, 14 हजार 350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई, लगभग एक हजार 240 करोड़ रुपये
- Run off Water Grid–दीर्घगामी योजना, लगभग 30 हजार करोड़ रुपये लागत के कार्य
- 100 एनिकटों का निर्माण/मरम्मत एवं जीर्णोद्धार–
- 100 बांधों एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य
- ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से diversion के कार्य की DPR 60 करोड़ रुपये की लागत से
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी कार्य, लागत–लगभग एक हजार 430 करोड़ रुपये
- फिरोजपुर फीडर (श्रीगंगानगर) कार्य, 200 करोड़ रुपये व्यय
- नहरी क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण हेतु इस वर्ष 5 हजार किसानों को अनुदान, 160 करोड़ रुपये व्यय
- किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च, 2024 तक लम्बित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की pendency समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग एक लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन जारी,
- कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना (Voluntary Load Disclosure Scheme) लागू
- किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने का कार्य वर्ष 2027 (दो हजार सत्ताइस) तक पूर्ण

कृषि विकास :

- राजस्थान कृषि विकास योजना (Raj KVY), 650 करोड़ (छः सौ पचास करोड़) रुपये के कार्य

- कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र, 200 करोड़ रुपये का अनुदान,
- 1000 Custom Hiring Centres
- 10 Agro Climatic Zones में 2–2 clusters, 120 करोड़ रुपये व्यय
- महात्मा गांधी नरेगा योजना, Farm Ponds/डिग्गी/फलदार पौधारोपण/मेड़बंदी इत्यादि कार्य, लगभग एक हजार 100 करोड़ रुपये व्यय
- Organic and Conventional Farming Board का गठन
- जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में Units एवं Labs
- गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, 10 हजार रुपये प्रति कृषक तक की सहायता
- महात्मा गांधी नरेगा, गोवर्धन परियोजनाओं, compost pit एवं Fruits and Vegetables Plantation आदि कार्य, 197 करोड़ 86 लाख रुपये व्यय
- जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में Agri Clinics,लगभग 21 करोड़ रुपये का व्यय
- किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए Knowledge Enhancement Programme
- Agri-Stack के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा

सहकारिता एवं कृषि विपणन :

- नवीन Cooperative Codes
- 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 736 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय, लगभग 35 (पैंतीस) लाख किसान लाभान्वित
- भूमि सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन कृषि ऋण,
- दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान
- दीर्घकालीन सहकारी अकृषि (Non-Farming) ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान, लगभग 64 करोड़ रुपये का व्यय
- 500 नये Farmer Producer Organizations (FPOs)
- 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण, लगभग 35 करोड़ रुपये व्यय
- रामगढ़ पचवारा (लालसोट)–दौसा, नसीराबाद– अजमेर, पीपलू–टोंक में कृषि मण्डी; साधुवाली (सादुलशहर)– श्रीगंगानगर में गाजर मण्डी; जैसलमेर में जीरा मण्डी तथा मनोहरथाना–झालावाड़ में लहसुन मण्डी, भुसावर–भरतपुर में Food Park एवं भरतपुर में Food Processing Park
- e-Mandi Platform के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा
- भुसावर–भरतपुर में Agro Processing Plant तथा सवाई माधोपुर में अमरूद, आंवला एवं मिर्च, मेड़ता सिटी में जीरा, सिरोही में ईसबगोल, जोधपुर व बारां में spices एवं बालोतरा में अनार के processing plants निजी क्षेत्र के सहयोग से

पशुपालन एवं डेयरी :

- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष–250 करोड़ रुपये का प्रावधान
- Sex Sorted Semen योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान राशि, लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित
- 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पद
- 500 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
- 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय
- विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य, 200 करोड़ रुपये व्यय
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना– 5–5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5–5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश (ऊँट) का बीमा, 400 करोड़ रुपये का व्यय
- ऊँट संरक्षण और विकास मिशन
- नवजात ऊँट के पालन–पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- सरदारशहर–चूरू, रानीवाड़ा–सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में milk processing plants का upgradation व सुदृढ़ीकरण, 100 करोड़ रुपये का व्यय
- पाली में अत्याधुनिक milk powder plant, 95 करोड़ रुपये की लागत
- कोटा में Cattle Feed Plant, 25 करोड़ रुपये की लागत

प्रेस नोट

बजट 2024–25

कर–प्रस्ताव संबंधी बिंदु

राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ करने तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन हेतु नवीन दिशा–दृष्टि एवं संकल्प के साथ बजट लाया गया है। उल्लेखनीय है कि नयी सरकार के आगमन के साथ हमनें इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं, जैसे –

- प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए पेट्रोल एवं डीजल के वैट में कमी के साथ ही एक राज्य एक मूल्य का देश में प्रथम प्रयास। पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य में क्षेत्रवार 6–7 रुपये से अधिक की कमी।
- Land Tax का समापन।
- चीनी एवं गुड पर मंडी शुल्क समाप्त।

प्रदेश के विकास के साथ–साथ जन–कल्याण की योजनाओं के संचालन के लिये राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका होने पर भी आमजन तथा उद्योग/व्यापार को करों के अत्यधिक बोझ एवं महँगाई के भार से बचाने का प्रयास किया गया है।

इसी प्रकार भविष्य में भी प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने के साथ ही आमजन एवं निवेशकों को आवश्यक राहत प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व संग्रहण का दायित्व निर्वहन करने वाले समस्त विभागों से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये कृतसंकल्प है।

1. **पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग :** पंजीयन एवं मुद्रांक ड्यूटी में छूट देकर राहत देने का प्रयास।
   - विविध विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का Rationalization.
   - विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित किये जाने वाले एग्रीमेन्ट, युवाओं द्वारा Apprenticeship संबंधी दस्तावेज,किसानों द्वारा अपनी फसल पर किया जाने वाला बन्धपत्र (Mortgage)।
   - पत्नी, पुत्रवधू, पोता/पोती एवं दोहिता/दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर पूर्ण छूट।
   - परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर–कृषि सम्पत्तियों के Exchange करने पर Stamp Duty घटाकर 2 प्रतिशत की गयी।
   - सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र, पुत्री या माता–पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी के साथ ही पंजीयन शुल्क की भी पूर्ण छूट।
   - Transferable Development Rights (TDR) की प्रक्रिया Automate करते हुये Stamp Duty की पूरी छूट तथा इसके विक्रय पर Stamp Duty घटाकर 2 प्रतिशत की गयी।
   - आमजन को सुलभ Housing Loan के लिये Debt Assignment पर Stamp Duty की अधिकतम सीमा घटाकर 1 लाख रुपये तथा पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25 हजार रुपये किया गया।

- पूर्व के Agreement to Sale, Society Patta आदि पर स्थानीय निकाय द्वारा पट्टा जारी नहीं हाने पर भी स्टाम्प ड्यूटी DLC के 20 प्रतिशत पर देय होगी।
- मल्टी–स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 5 प्रतिशत की गयी।
- निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर GST राशि पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट।
- Stamps Act के अन्तर्गत Reference/Appeal के माध्यम से निर्धारित Stamp Duty को निर्णय के एक माह के अन्दर जमा कराने पर ब्याज माफ ।
- दस्तावेज निष्पादन के एक माह के भीतर उसका निरस्तीकरण (Cancelation) कराये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी Conveyance के स्थान पर एक हजार रुपये की गयी।
- मौका निरीक्षण हेतु सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी को भी मौका–निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया गया।
- बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों पर Stamp Duty नहीं ली जायेगी।
- कम्पनियों के Amalgamation, Demerger आदि पर आवंटित शेयर्स पर स्टाम्प ड्यूटी 4 प्रतिशत से कम करते हुए 1 प्रतिशत तथा अधिकतम राशि भी 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये की गयी।

2. वाणिज्यिक कर विभाग :

- नई **राजनिवेश नीति–2024** (RIPS-2024) लायी जायेगी जिसमें राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- निवेशकों को RIPS योजना के अन्तर्गत
  - ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय–अवधि के लिये PNG की वैट दर में 5 प्रतिशत तक कमी,
  - Sick Unit को Revive करने की स्थिति पर भी Incentives का प्रावधान।
  - प्रचलित RIPS के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2024 से Online Portal के माध्यम से लाभ देना प्रारम्भ।
  - RIPS के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण–पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया गया।
- नवीन VAT अधिनियम लाया जायेगा।
- CNG/PNG पर प्रचलित वैट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया।
- Aviation Turbine Fuel (ATF) पर लागू VAT दर को FTO तथा ATO के लिये 26 (छब्बीस) प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
- Captive Power प्रयोग करने वाले उपक्रमों के लिये Auxiliary Power पर Electricity Duty समाप्त तथा Auxiliary Power पर बकाया Electricity Duty का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज/शास्ति माफ।
- Online Gaming, e-Commerce, OTT Platform आदि से Additional Resource Mobilization के लिये नवीन Integrated प्रणाली विकसित की जायेगी।

3. परिवहन विभाग :

- इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के **e-Vehicle Promotion Fund** का गठन किया जायेगा।
- Stage Carriage वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलामीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन कर (MV Tax) को 504 रुपये से घटाकर 400 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह किया गया।
- वाहन के स्वामित्व हस्तान्तरण में भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त की गयी तथा वाहन को Scrap कराये जाने पर भी रजिस्ट्रेशन नम्बर Retention की सुविधा दी जायेगी।
- परिवहन वाहनों की Fitness के समय कर–चुकता प्रमाण–पत्र (Tax Clearance Certificate-TCC) की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।
- नये वाहनों को पंजीयन के पश्चात परमिट प्राप्त करने पर एवं पुराने वाहनों का परमिट सरेण्डर करने के उपरान्त नया परमिट प्राप्त करने पर देय Spare Tax में छूट को 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस किया गया।
- Private Service Vehicle, Tourist Vehicle and Contract Carriage Vehicle में एकबारीय कर (One Time Tax) की वर्तमान प्रचलित दरों में 10 प्रतिशत की कमी की गयी।
- बाईस सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्री वाहनों के Special Permit पर मोटर वाहन कर की दर को एक समान 600 रुपये प्रतिदिन तथा पर्यटक यात्री वाहनों पर 875 रुपये प्रतिसीट प्रतिमाह किया गया।

4. आबकारी विभाग :

- राजस्व–संग्रहण में Efficiency लाने तथा अवैध मदिरा पर अंकुश लगाने की दृष्टि से **नया आबकारी कानून** लाया जायेगा।

5. खान एवं पेट्रोलियम विभाग :

- **नवीन खनिज नीति–2024** लाई जायेगी।
- बलुआ पत्थर, चेजा पत्थर आदि खनिजों के 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये की गयी।
- Minor Minerals के खनन पट्टाधारी/क्वारी लाईसेंस धारकों को राहत देते हुये लाईसेंस की बढ़ी हुई अवधि (अर्थात् वर्ष 2040 तक) के देय प्रीमियम की राशि को किश्तों में जमा कराये जाने की सुविधा दी जायेगी।
- बजरी सम्बन्धी समस्या के निदान के लिये Rajasthan State Mines & Minerals Limited (RSMML) के माध्यम से भी बजरी उत्पादन की कार्यवाही की जायेगी। नवीन **M-sand Policy** लाई गयी।
- केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप Private Sector को भी Exploration हेतु प्रोत्साहन। गत 7 वर्षों में प्रधान खनिज के केवल 54 ब्लॉक्स (Blocks) की नीलामी के मुकाबले इसको लगभग **दो गुणा** करते हुये **100 से अधिक** ब्लॉक्स की नीलामी की जायेगी। Pre-embedded Clearances के साथ नीलामी किया जाकर First Phase में ऐसे 8 ब्लॉक की नीलामी की जायेगी।

- खनिजों के क्षेत्र में Research and Development की दृष्टि से बीकानेर में Ceramics तथा उदयपुर में Rare Earth Elements के लिए Centers of Excellence की स्थापना कर 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- अप्रधान खनिजों के उत्पादन एवं निर्गमन में Volumetric Assessment पद्धति चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।,इसी क्रम में **एकमुश्त समाधान योजना** लायी जाकर देय ब्याज व शास्ति की छूट दी जायेगी।
- 8 नगरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर व पाली में 2 हजार किलोमीटर लम्बाई की गैस पाईपलाईन बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन्स जारी किये जायेंगे।

6. निवेश प्रोत्साहन हेतु अन्य बिन्दु :

- **उद्योग विभाग–**
  - रीको एरिया से 1 किमी की परिधि में भी Land Conversion के लिये रीको की अनापत्ति की आवश्यकता समाप्त। **'निजी औद्योगिक पार्क योजना'** भी लायी जायेगी।
  - भू–संसाधन के समुचित एवं Optimum उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु Land Aggregation and Monetization Policy लाई जायेगी। इसे सशक्त करने के लिये Aggregation of Private Land Act लाया जायेगा।
- **राजस्व विभाग–**
  - रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के रूपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये Transfer of Industrial Lands Validation Act लाया जायेगा।
  - निवेशकों को पर्यटन एवं एग्रो–प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स, के लिये आसानी से ऋण उपलब्ध हो पाने की दृष्टि से निःशुल्क ऑनलाईन Deemed Conversion Order उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- **स्वायत्त शासन विभाग** – 15 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों के Fire Safety Certificate हेतु निर्धारित एकमुश्त फीस 50 रुपये प्रति वर्गमीटर को घटाकर 15 रुपये प्रति वर्गमीटर 5 वर्ष के लिये की गयी।
- **कृषि विभाग– Agro Processing नीति–2024** लायी जाकर कृषि एवं Horticulture क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत **श्रीअन्न (Millets)** हेतु विशेष प्रावधान किये जायेंगे।

7. एमनेस्टी (Amnesty) :

- उद्यमियों एवं आमजन को राहत देने के लिये एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में 31 दिसम्बर, 2023 तक की शेष रही बकाया राशि पर 31 दिसम्बर, 2024 तक जमा करने पर निम्न अनुसार छूट–
  - **ऊर्जा एमनेस्टी**– कटे हुए कनेक्शन वाले विद्युत उपभोक्ताओं हेतु ब्याज/शास्ति की छूट।
  - **उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी–** कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर ब्याज की छूट।
- नवीन एमनेस्टी योजनाएं, जिसमें 31 दिसंबर, 2024 तक राशि जमा कराने पर निम्नानुसार छूट दी जायेगी–
  - **VAT Amnesty** (2017 के उपरान्त Repealed Acts के प्रकरणों हेतु)**–**
    (a) 10 लाख रुपये तक की मूल राशि की डिमाण्ड वाले प्रकरणों की समस्त बकाया माफ।

(b) अन्य प्रकरणों में बकाया राशि का श्रेणीवार 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ।

- **खनन एमनेस्टी–** पूर्व के बकाया प्रकरणों में कुल बकाया राशि का श्रेणीवार मात्र 10 से 30 प्रतिशत जमा कराने पर शेष राशि माफ ।
- **परिवहन एमनेस्टी**– 30 जून, 2024 तक के बकाया ई–रवन्ना प्रकरणों हेतु दी जा रही प्रशमन (Compounding) राशि की छूट को जारी रखते हुये प्रशमन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये की जायेगी।
- **स्टाम्प एमनेस्टी**– स्टाम्प डयूटी की माँग के प्रकरणों में ब्याज एवं Penalty की शत–प्रतिशत छूट।
- **आबकारी एमनेस्टी–** 31 मार्च, 2024 तक के बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार ब्याज एवं मूल राशि में छूट।

8. संस्थागत उन्नयन :

- राजस्व अर्जन सम्बन्धी समस्त विभागों में Efficiency बढ़ाने के लिए निम्न कार्य किये जायेंगे–
  - **पंजीयन एवं मुद्रांक– ई–पंजीयन 3.0** पोर्टल प्रारंभ कर नागरिकों, विभागीय अधिकारियों एवं अन्य सभी Stakeholders को Online Transaction करने की सुविधा दी जायेगी। Reference एवं अन्य Legal Procedure को भी ई–पंजीयन पोर्टल पर लाकर Automated किया जायेगा।
  - **वाणिज्यिक कर–** विभागीय कार्य की विविधता एवं कार्यभार में वृद्धि तथा करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत वाणिज्यिक कर विभाग में विभागीय पुनर्गठन किया जायेगा। साथ ही Firms का पंजीकरण **'आधार'**–आधारित Bio-Metric Authentication के माध्यम से किया जायेगा।
  - **परिवहन–** स्वच्छ एवं पारदर्शी Administration हेतु परिवहन विभाग में Faceless Management की व्यवस्था प्रारम्भ की जायगी। वाहनों के दस्तावेजों की जांच e-Detection प्रणाली से की जायेगी।
  - **आबकारी– "एकीकृत आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल"** का गठन किया जायेगा।
  - **खान–** खनन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को Online करते हुये ब्लॉक्स का निर्धारण GIS प्रणाली पर करना, खनिज परिवहन हेतु RFID तथा GPS Tracking का प्रावधान लागू करना तथा उत्खनन की Quantity व सम्बन्धित Penalty का निर्धारण ड्रोन सर्वे के आधार पर किया जायेगा। खान विभाग में कार्य–कुशलता की दृष्टि से राजस्व अधिकारियों के पद भी सृजित किये जायेंगे।